



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 12 मई, 2021  
बैशाख 22, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 865/9-1-2021-14सा-20  
लखनऊ, 12 मई, 2021

अधिसूचना

प0आ0-131

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या 436/9-1-20-14सा-20, दिनांक 20 मार्च, 2020 द्वारा 422 नगर पंचायतों में 1266 नाम निर्दिष्ट सदस्यों के रूप में नामित किया गया है।

2-उक्त नाम निर्दिष्ट सदस्यों में से कतिपय सदस्यों के नाम, वल्लियत, पता इत्यादि में कतिपय त्रुटियाँ शासन के संज्ञान में आये हैं। अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 20 मार्च, 2020 के द्वारा स्तम्भ-4 में अंकित नाम निर्दिष्ट सदस्यों में हुई त्रुटि को स्तम्भ-5 के अनुसार एतद्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

| क्रम सं० | सूची क्रमांक | नगर पंचायत का नाम व जनपद     | अधिसूचना में जारी किये गये नामनिर्दिष्ट सदस्यों का विवरण                  | संशोधित नाम का विवरण   |
|----------|--------------|------------------------------|---|--|
| 1        | 2            | 3                            | 4   | 5  |
| 1        | 1054         | नगर पंचायत चोपन जनपद सोनभद्र | श्री सोनी रावत पति फुलवास रावत, निवासी हिल कॉलोनी, क्वार्टर नं०-345, चोपन | श्रीमती सावित्री देवी पति श्री फुलवास राव, निवासी हिल कॉलोनी, क्वार्टर नं०-345, चोपन |

| 1 | 2   | 3                                 | 4   | 5   |
|---|-----|-----------------------------------|---|---|
| 2 | 286 | नगर पंचायत बेवर<br>जनपद मैनपुरी   | भियालाल गुप्ता पुत्र श्री मेवाराम<br>गुप्ता, निवासी काजीटोला रिलायंस<br>टावर वाली गली बेवर, जनपद<br>मैनपुरी | श्री भइया लाल गुप्ता पुत्र<br>श्री मेवाराम गुप्ता, निवासी<br>काजीटोला रिलायंस टावर वाली<br>गली बेवर, जनपद मैनपुरी |
| 3 | 290 | नगर पंचायत कुसमरा<br>जनपद मैनपुरी | श्री हुबेर हसन अलवी पुत्र ताज<br>हसन, निवासी पोस्ट ऑफिस के<br>सामने कुसमरा, मैनपुरी                         | श्री जुबैर हसन अलवी पुत्र<br>श्री ताज हसन, निवासी पोस्ट<br>ऑफिस के सामने कुसमरा,<br>मैनपुरी                       |

3—उक्त के अतिरिक्त अधिसूचना दिनांक 20 मार्च, 2020 की शेष बातें यथावत् रहेंगी।

आज्ञा से,  
डॉ० रजनीश दुबे,  
अपर मुख्य सचिव।